ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- +91-8126660575::
पता -: गाई की गढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

# कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 3843 /12–1(2) दिनांक 23/05/2025::

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :– जनपद–रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।
**PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/40174/2019**

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी./यू.सी.पी./06/10/2020/एफ.सी./1749 दिनांक 17.03.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार स्तर से वांछित 06 बिन्दुओं की सूचना अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक–133 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा कॉलमवार/बिन्दुवार इस कार्यालय को प्रस्तुत की है, जो प्रभाग स्तर से संकलित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार प्रेषित है–

| बि.सं. | विवरण | उत्तरालेख |
|---|---|---|
| 1 | प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा आनलाईन भाग–।। के पैरा–13 में 1.501 है0 वन भूमि प्रत्यार्वतन के सापेक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगने क्षेत्र 3.002 है0 के स्थान पर 2.912 है0 क्षेत्र का उल्लेख कर जानकारी अपलोड कर दी गई थी, परन्तु क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना 3.002 है0 क्षेत्र के लिये ही अपलोड पाई गई थी। इस कार्यालय द्वारा टंकण त्रुटिवश सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 (क) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के क्षेत्र का उल्लेख 2.912 है0 कर दिया गया। इसके उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 3.002 है0 के स्थान पर मात्र 2.912 है0 हेतु ही धनराशि जमा की गई है। यह प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर प्रस्ताव के प्रति लिये गये आकस्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि 3.002 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ownership proof, KML file, डिजिटल मैप, Sol Toposheet मैप, क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र, mutation के दस्तावेज, खसरा तथा खतौनी के दस्तावेज, इत्यादि इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें। | प्रकरण में प्रभावित कुल 1.501 है0 वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कुल 3.002 है0 ग्राम–जयकण्डी सिविल भूमि के ownership proof (संलग्नक–1), KML file ई–मेल के माध्यम से] डिजिटल मैप (संलग्नक–2), Sol Toposheet मैप (संलग्नक–3), क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना (संलग्नक–4), स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र (संलग्नक–5), mutation के दस्तावेज (संलग्नक–6), खसरा तथा खतौनी के दस्तावेज इत्यादि (संलग्नक–7) संलग्न कर प्रेषित हैं। |
| 2 | इसके अतिरिक्त 3.002 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु बकाया धनराशि भी जमा कराई जाये। | उक्त के अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 3.002 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु बकाया धनराशि धनराशि **रुपये 36,719.00 (छत्तीस हजार, सात सौ उन्नीस)** मात्र जमा कर दी गई है। (संलग्नक–8) |

क्रमशः –2 पर

o/c

| | | |
|---|---|---|
| 3 | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में आपको अवगत करना है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4 (i) के अनुसार, विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयाम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें। | प्रकरण के एवज में चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने हेतु मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4(i) के अनुसार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयाम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित किये जाने हेतु संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–9)** |
| 4 | सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या 3(ग) के सापेक्ष में कोई undertaking प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः राज्य सरकार सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या 3 (ग) की अनुपालना में वन मंडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें। | प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–3(ग) के अनुपालन में undertaking संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–10)** |
| 5 | शर्त संख्या 5 का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के पत्र में उल्लेखित शर्त संख्या 5 का अवलोकन कर पूर्ण अनुपालन इस कार्यालय में प्रेषित करें। | सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या–5 **(MDF के बदले 2.00 है0 वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त DFL का चयन कर उससे संबंधित योजना, नक्शा, के0एम0एल0 फाईल, इत्यादि की जानकारी इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी)** के क्रम में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम–जयकण्डी सिविल भूमि मौके पर वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई गई, जिसमें कि वर्ष 2022–23 में वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न कर दिया गया है। अतः उक्त के अतिरिक्त 2.00 है0 वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त DFL का चयन कर उससे संबंधित योजना, नक्शा, के0एम0एल0 फाईल, इत्यादि की जानकारी दी जानी अपेक्षित नहीं है। |
| 6 | शर्त संख्या 7 का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के पत्र में उल्लेखित शर्त संख्या 7 का अवलोकन कर पूर्ण अनुपालना इस कार्यालय में प्रेषित करें। | सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रश्नगत मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों के पातन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–1412/12–1 दिनांक 06.01.2021 के द्वारा लौट आवंटित किया गया। **(संलग्नक–11)** |

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। (मूल सहित तीन प्रतियों में)**

भवदीया

(कल्याणी)
उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 3843 /दिनांकित।
**प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0, रुद्रप्रयाग।

(कल्याणी)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

o/c

प्राप्त
13/05/2025

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

# कार्यालय
# अधिशासी अभियन्ता
# पी0एम0जी0एस0वाई(सिं.ख.) रूद्रप्रयाग।

पत्रांकः– 133/पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग/अनुपालन आख्या दिनांक 09/05/2025

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
वन प्रभाग रूद्रप्रयाग,
जनपद रूद्रप्रयाग।

विषयः– **जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 किमी0) के नव निर्माण हेतु 1.501 है0 वन भूमि की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ : आपका पत्रांक– 2979/12–1(2) दिनांक 10–03–2025 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वर एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक–8बी/यू0सी0पी0/06/10/2020/एफ0सी0/1749 दिनांक 17–03–2022

महोदय,

उपरोक्त विषय सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग पर Online Proposal No-FP/UK/ROAD/40174/2019 प्रस्ताव पर 1.501 है0 वनभूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति दिनांक 25.08.2020 को निर्गत की गयी थी, जिसकी अनुपालन आख्या इस खण्ड द्वारा प्रेषित की गयी थी। जिस पर भारत सरकार द्वारा 06 बिन्दुओं पर आपत्तियों में खण्ड को लौटायी गया था। वर्तमान में आपत्तियों का निराकरण कर पुनः संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार है :–

| बिन्दु संख्या | शर्त का विवरण | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1 | प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा आनलाईन भाग–।। के पैरा–13 में 1.501 है0 वन भूमि प्रत्यार्वतन के सापेक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगने क्षेत्र 3.002 है0 के स्थान पर 2.912 है0 क्षेत्र का उल्लेख कर जानकारी अपलोड कर दी गई थी। परन्तु क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना 3.002 है0 क्षेत्र के लिये ही अपलोड पाई गई थी। इस कार्यालय द्वारा टंकण त्रृटिवश सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 (क) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के क्षेत्र का उल्लेख 2.912 है0 कर दिया गया। इसके उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 3.002 है0 के स्थान पर मात्र 2.912 है0 हेतु ही धनराशि जमा की गई है। यह प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर प्रस्ताव के प्रति लिये गये आकस्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि 3.002 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ownership proof, KML file, डिजिटल मैप, Sol Toposheet मैप, क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र, mutation के दस्तावेज, खसरा तथा खतौनी के दस्तावेज, इत्यादि इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें। | 3.002 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु निम्न दस्तावेज, संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।<br>1. ownership proof, (संलग्न–1)<br>2. KML file (ई0मेल के माध्यम से ) संलग्न–2<br>3. डिजिटल मैप, (संलग्न–3)<br>4. Sol Toposheet मैप, (संलग्न–4)<br>5. क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, (संलग्न–5)<br>6. स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र, (संलग्न–6)<br>7. mutation के दस्तावेज, (संलग्न–7)<br>8. खसरा तथा खतौनी के दस्तावेज, (संलग्न–8) |

क्रमशः 2

| | | |
|---|---|---|
| 2 | इसके अतिरिक्त 3.002 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु बकाया धनराशि भी जमा कराई जाये। | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु बकाया धनराशि 36719.00 को जमा कर दी गई हैं (संलग्न–9, जमा रसीद की छाया प्रति) |
| 3 | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में आपको अवगत करना है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4 (i) के अनुसर, विविधवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें। | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने हेतु चयनित स्थल पर आर0सी0सी0 पिल्लर से सीमांकन कर वन विभाग में कब्जे में दे दिया गया है, कब्जा प्रमाण–पत्र संलग्न–10 |
| 4 | सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या 3(ग) के सापेक्ष में कोई undertaking प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः राज्य सरकार सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या 3 (ग) की अनुपालन में वन मंडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें। | वन विभाग से सम्बन्धित/अपेक्षित है। |
| 5 | शर्त संख्या 5 का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के पत्र में उल्लेखित शर्त संख्या 5 का अवलोकन कर पूर्ण अनुपालन इस कार्यालय में प्रेषित करें। | वन विभाग से सम्बन्धित/अपेक्षित है। |
| 6 | शर्त संख्या 7 का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के पत्र में उल्लेखित शर्त संख्या 7 का अवलोकन कर पूर्ण अनुपालना इस कार्यालय में प्रेषित करें। | वन विभाग से सम्बन्धित/अपेक्षित है। |

अतः संशोधित अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति की अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

पत्रांकः– /पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग/व0भू0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, जनपद रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

वनक्षि
कृ0 आ0 का0 कर्ी,

प्र0 व0 अ0

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग

351 ict N

जना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से काकोला) मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

# Copy of Ownership

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थल ~~वन~~ राजस्व विभाग की सम्पत्ति है। जो कि ........................ जयकण्डी ग्रिमिण में स्थित है।

कनिष्ट अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सि० ख०, रुद्रप्रयाग

नकल खसरा प० ख० -3

ग्राम ...एरागांड़ी... पटवारी वृत्त ...अगस्त्यमुनि... तहसील ऊखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग। फसली वर्ष ...1422... से फसली वर्ष ............ तक।

| खसरा नम्बर | क्षेत्रफल | खतौनी संख्या | खतौनी के नाम में खातेदार का नाम | भाग 2 | सिंचाई का साधन | क्षेत्रफल | | | | | | | | | दोयम की भूमि अकृषिक भूमि | | | | [illegible] | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | खरीफ | | | रबि | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | फसल | सिं० | असिं० | फसल | सिं० | अ० | फसल | सिं० | अ० | सिं० | अ० | नाम | भूमि | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 278 | 2.500 | 11 | उ० ख० सरकार | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | बंजर | 2.500 | | |
| 1369 | 1.900 | 11 | उ० ख० सरकार | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | बंजर | 1.900 | | |
| 02 | 4.400 है० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

नोट - नकल खसरा असल से मिलान कर जारी किया गया है।

ह०/ - अगस्त्यमुनि
पटवारी वृत्त ...अगस्त्यमुनि...

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सि० ख०, रुद्रप्रयाग

नकशा छायाप्रति ग्राम- जयकण्डी, प० पट्टी- गणेशनगर, तहसील- ऊखीमठ, जनपद रुद्र...

पैमाना

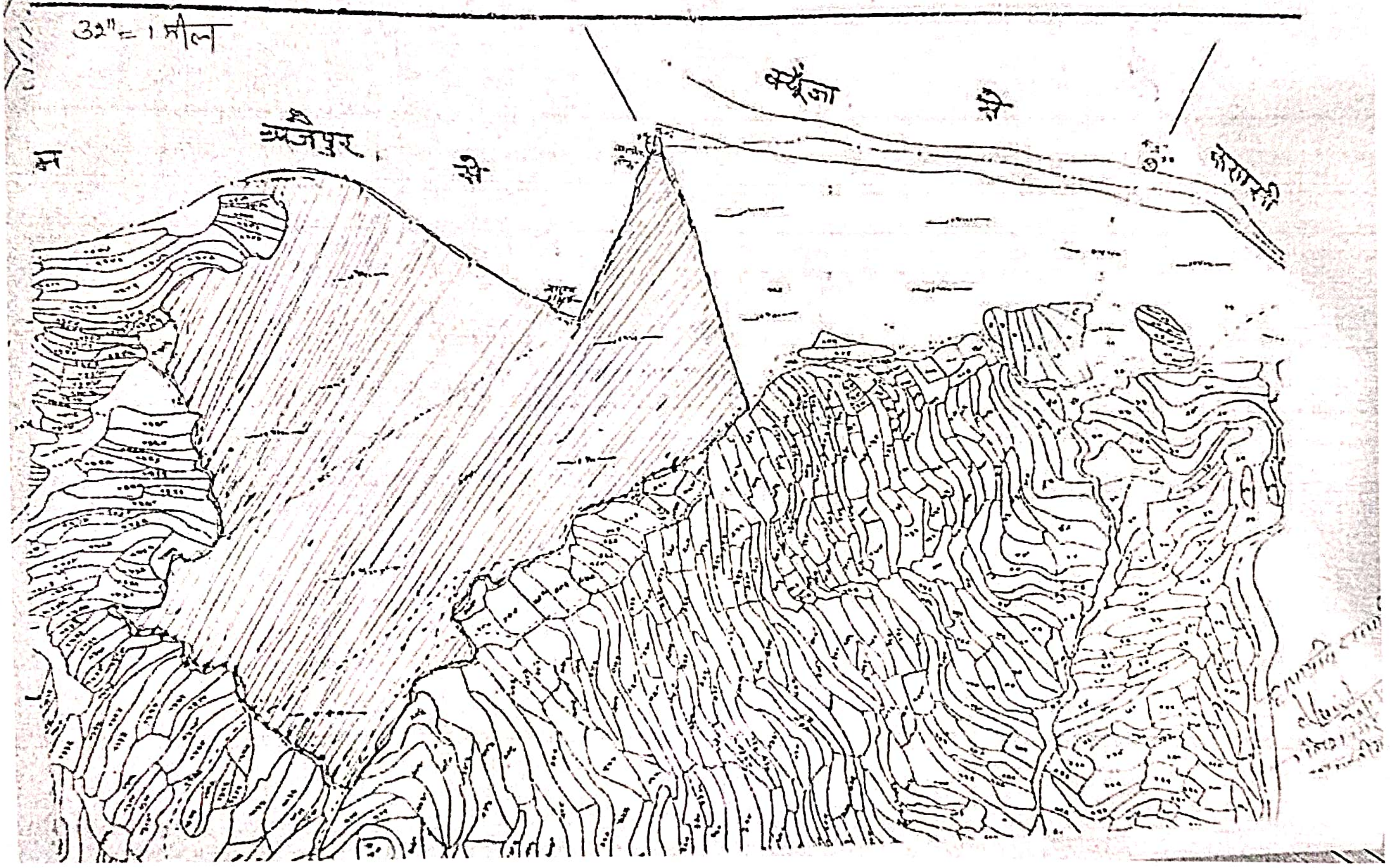


छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सि० ख०, रुद्रप्रयाग

(2)

## जावरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला मोटर मार्ग) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.002 है0 भूमि

1 centimeter = 50 meters

90 45 0 90 Meters

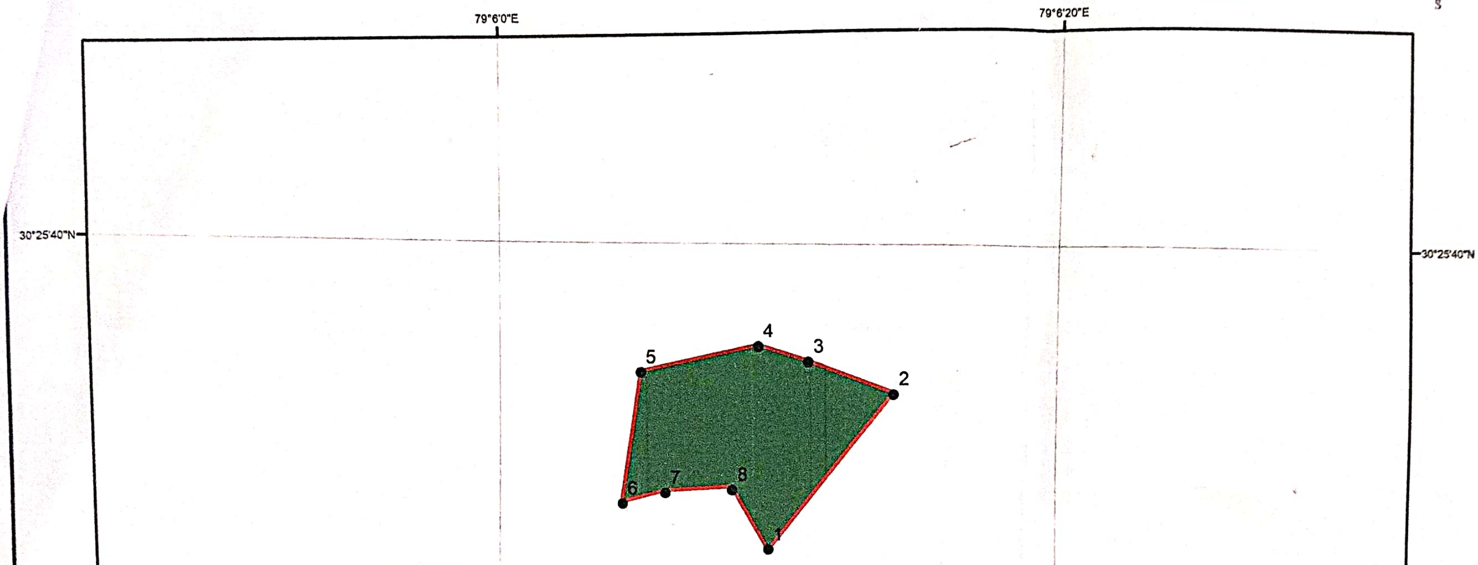


| ID | LONGITUDE | LATITUDE |
|---|---|---|
| 1 | 79°06'09.69"E | 30°25'30.39"N |
| 2 | 79°06'14.17"E | 30°25'35.35"N |
| 3 | 79°06'11.09"E | 30°25'36.35"N |
| 4 | 79°06'09.28"E | 30°25'36.82"N |
| 5 | 79°06'05.03"E | 30°25'35.97"N |
| 6 | 79°06'04.36"E | 30°25'31.80"N |
| 7 | 79° 6'5.93"E | 30°25'32.16"N |
| 8 | 79°06'08.37"E | 30°25'32.28"N |

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

Plantation Area

Plantation Site GPS

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0(सिं0ख0)
रुद्रप्रयाग

अगस्त्यमुनि

सहायक अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सिं0 ख0, रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 सिं0 ख0
रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी

(3)

जावरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला मोटर मार्ग) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.002 है0 भूमि

480 240 0 480 Meters

1 centimeter = 250 meters

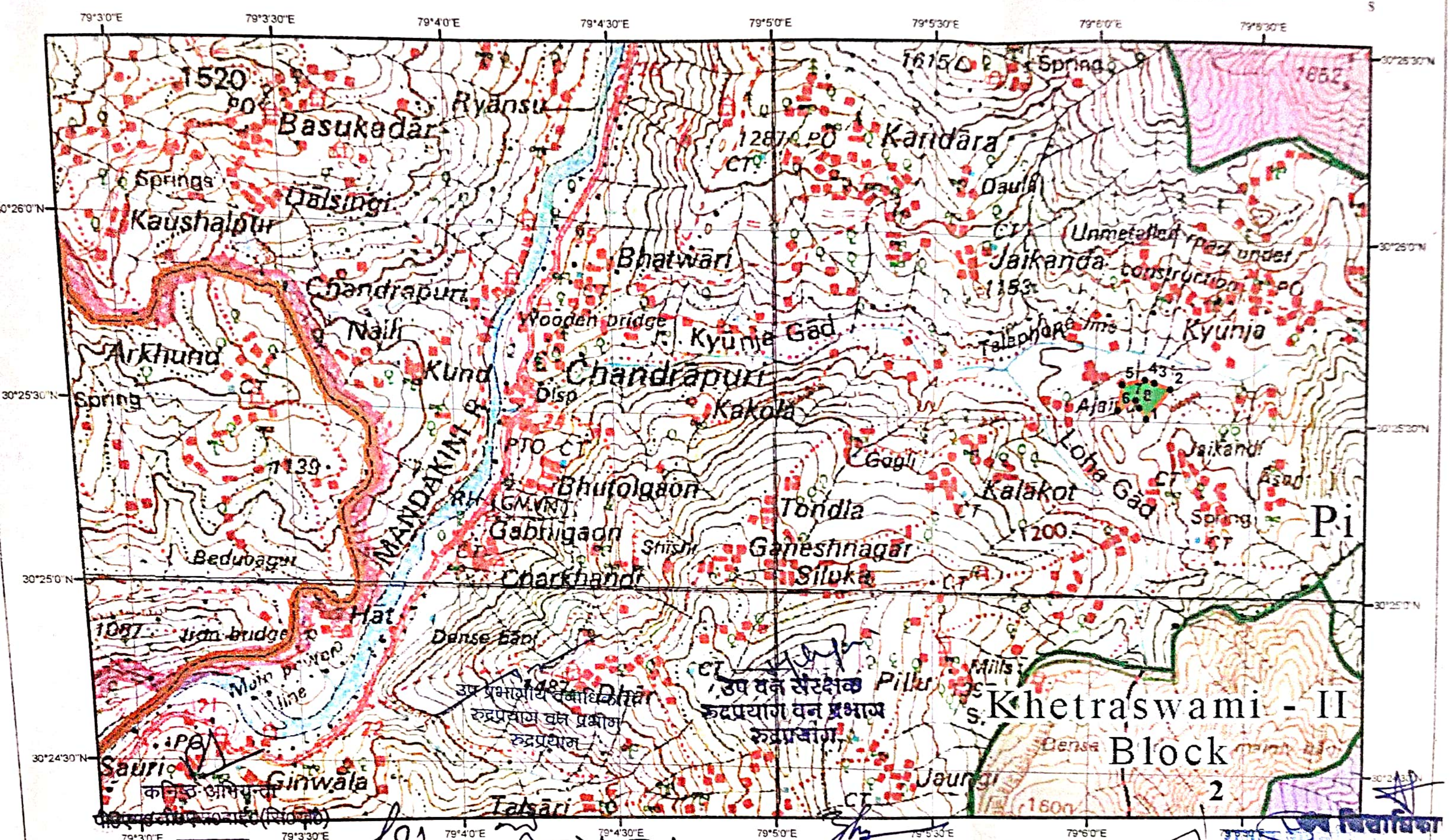


Plantation Area

Plantation Site GPS

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0(सिं0खं0)
रुद्रप्रयाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सि0 ख0, रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 सिं0 खं0

... विधायिका
क्षेत्र...
तहसील...

संलग्नक-(4)

**वृक्षारोपण (एक्टैन्शन ऑफ जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) तक प्रस्तावित मोटर मार्ग क्षतिपूरक ) पर व्यय की धनराशि का विवरण**

रोपण क्षेत्र का नाम – जयकण्डी सिविल

क्षेत्रफल (है0 में) 0.090

प्रथम चरण

| सं0 | कार्य विवरण | इकाई | | इकाई दर प्रति | कुल व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सर्वे एवं सीमांकन | 0.090 | है0 | 168.00 | 15.120 |
| 2 | क्षेत्र की सफाई कार्य (झाड़ी कटान आदि कार्य) | 0.090 | है0 | 5446.00 | 490.140 |
| 3 | अग्रिम दीवालबन्दी (फेन्सिंग) कार्य | 0.090 | है0 | 55000.00 | 4950.000 |
| 4 | गढ्ढे खुदान कार्य (0.30X0.30X0.45) रेखांकन चूना सहित (प्रति है0 1100 गढ्ढे) | 90 | प्रति गढ्ढा | 11.00 | 990.000 |
| 5 | निरीक्षण बटिया का निर्माण करना (प्रति है0 100 र0मी0 लम्बी व 0.60 मी0 चौड़ी) | 5.400 | वर्ग मी0 | 26.00 | 140.400 |
| 6 | पौधों की कीमत प्रथम वर्ष उगाने का | 90 | प्रति सं0 | 10.00 | 900.000 |
| 7 | अन्य व्यय जैसे यंत्र संयत्र औजार तेज करना | 0.090 | है0 | 1337.00 | 120.330 |
| | योग प्रथम वर्ष – | | | | 7605.99 |

द्वितीय चरण

| सं0 | कार्य विवरण | इकाई | | इकाई दर प्रति | कुल व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गढ्ढा भरान कार्य (0.30X0.30X0.45) Cum. | 90 | सं0 | 2.07 | 186.300 |
| 2 | पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष | 90 | सं0 | 3.00 | 270.000 |
| 3 | पौध ढुलान कार्य | 90 | सं0 | 13.00 | 1170.000 |
| 4 | पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य | 90 | सं0 | 4.00 | 360.000 |
| 5 | निराई–गुढ़ाई करना प्रथम वर्ष | 90 | सं0 | 2.75 | 247.500 |
| 6 | नराई–गुढ़ाई करना मय मल्चिंग कार्य द्वितीय बार | 90 | सं0 | 2.40 | 216.000 |
| 7 | खाद व दवा पर व्यय | 0.090 | है0 | 1200.00 | 108.000 |
| 8 | प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख रेख व रखरखाव पर व्यय | 0.090 | प्रति है0/माह | 1000.00 | 90.000 |
| 9 | 8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखीघास फूॅस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है। झाड़ी कटान (लैन्टना, गाजर घास/काला बासा) | 0.090 | है0 | 1682.00 | 151.38 |
| | द्वितीय चरण का योग – | | | | 2799.18 |

तृतीय चरण

| सं0 | कार्य विवरण | इकाई | | इकाई दर प्रति | कुल व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वनीकरण चौकीदारी 12 माह | 0.090 | प्रति है0/माह | 1000.00 | 1080.00 |
| 2 | 2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखीघास फूॅस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है। झाड़ी कटान (लैन्टना, गाजर घास/काला बासा) | 0.090 | है0 | 1682.00 | 151.38 |
| | 2.2 वृक्षारोपण क्षेत्रों से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरुकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन राशि। | 0.090 | है0 | L.S. | 6372.44 |
| 3 | पौधों की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत | 9 | सं0/पौध | 15.00 | 135.00 |
| | पुनः गढ्ढा खोदना एवं रोपण करना | 9 | सं0/पौध | 6.00 | 54.00 |
| | पौधों का ढुलान कार्य करना | 9 | सं0/पौध | 13.00 | 117.00 |
| | गढ्ढों में गोबर खाद डालना मय ढुलान सहित | 9 | सं0 | 2.85 | 25.65 |
| | शीतकाल में मल्चिंग सहित कार्य | 9 | सं0 | 2.38 | 21.42 |
| | तृतीय चरण का योग – | | | | 7956.89 |

चतुर्थ चरण

| सं0 | कार्य विवरण | इकाई | | इकाई दर प्रति | कुल व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रोपण वर्ष के बाद द्वितीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 0.090 | है0 | 1000.00 | 1080.00 |
| | चतुर्थ चरण का योग – | | | | 1080.00 |

पंचम चरण

| सं0 | कार्य विवरण | इकाई | | इकाई दर प्रति | कुल व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 0.090 | है0 | 1000.00 | 1080.00 |
| | पंचम चरण का योग – | | | | 1080.00 |

छठवां चरण

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 0.090 | है0 | 1000.00 | 1080.00 |
| | छठवें चरण का योग – | | | | 1080.00 |

सातवां चरण

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 0.090 | है0 | 1000.00 | 1080.00 |
| | सातवें चरण का योग – | | | | 1080.00 |

आठवां चरण

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 0.090 | है0 | 1000.00 | 1080.00 |
| | आठवें चरण का योग – | | | | 1080.00 |

नवम् चरण

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 0.090 | है0 | 1000.00 | 1080.00 |
| | नवें चरण का योग – | | | | 1080.00 |

दशम चरण

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 0.090 | है0 | 1000.00 | 1080.00 |
| | दशवें चरण का योग – | | | | 1080.00 |

5– कुल व्यय सारांश प्रति है0 व कुल व्यय

| क्र0 सं0 | वर्ष का नाम | | प्रति है0 व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रथम वर्ष | | 7605.99 |
| 2 | द्वितीय वर्ष | | 2799.18 |
| 3 | तृतीय वर्ष | | 7956.89 |
| 4 | चतुर्थ वर्ष | | 1080.00 |
| 5 | पंचम वर्ष | | 1080.00 |
| 6 | छठवें वर्ष | | 1080.00 |
| 7 | सातवां वर्ष | | 1080.00 |
| 8 | आठवां वर्ष | | 1080.00 |
| 9 | नवम वर्ष | | 1080.00 |
| 10 | दशम वर्ष | | 1080.00 |
| | कुल व्यय रुपये | | 25922.06 |
| | मृदा एवं जल संरक्षण कार्य | | 10796.94 |
| | कुल योग | | 36719.00 |
| | | या – | 36719.00 |

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

सेलग्नक -(4) ii

## वृक्षारोपण (एक्टैन्शन ऑफ जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) तक प्रस्तावित मोटर मार्ग क्षतिपूरक ) पर व्यय की धनराशि का विवरण

वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम – जयकण्डी सिविल

क्षेत्रफल (है0 में) 2.912

| क्र0 सं0 | कार्य विवरण | इकाई | | इकाई दर प्रति | कुल व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| | **प्रथम चरण** | | | | |
| 1 | सर्वे एवं सीमांकन | 2.912 | है0 | 168.00 | 489.216 |
| 2 | क्षेत्र की सफाई कार्य (झाड़ी कटान आदि कार्य) | 2.912 | है0 | 5446.00 | 15858.752 |
| 3 | अग्रिम दीवालबन्दी (फेन्सिंग) कार्य | 2.912 | है0 | 55000.00 | 160160.000 |
| 4 | गढ्ढे खुदान कार्य (0.30X0.30X0.45) रेखांकन चूना सहित (प्रति है0 1100 गढ्ढे) | 2912 | प्रति गढ्ढा | 11.00 | 32032.000 |
| 5 | निरीक्षण बटिया का निर्माण करना (प्रति है0 100 र0मी0 लम्बी व 0.60 मी0 चौड़ी) | 174.720 | वर्ग मी0 | 26.00 | 4542.720 |
| 6 | पौधों की कीमत प्रथम वर्ष उगाने का | 2912 | प्रति सं0 | 10.00 | 29120.000 |
| 7 | अन्य व्यय जैसे यंत्र संयत्र औजार तेज करना | 2.912 | है0 | 1337.00 | 3893.344 |
| | **योग प्रथम वर्ष –** | | | | **246096.03** |
| | **द्वितीय चरण** | | | | |
| 1 | गढ्ढा भरान कार्य (0.30X0.30X0.45) Cum. | 2912 | सं0 | 2.07 | 6027.840 |
| 2 | पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष | 2912 | सं0 | 3.00 | 8736.000 |
| 3 | पौध ढुलान कार्य | 2912 | सं0 | 13.00 | 37856.000 |
| 4 | पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य | 2912 | सं0 | 4.00 | 11648.000 |
| 5 | निराई–गुढ़ाई करना प्रथम वर्ष | 2912 | सं0 | 2.75 | 8008.000 |
| 6 | नराई–गुढ़ाई करना मय मल्चिंग कार्य द्वितीय बार | 2912 | सं0 | 2.40 | 6988.800 |
| 7 | खाद व दवा पर व्यय | 2.9120 | है0 | 1200.00 | 3494.400 |
| 8 | प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख रेख व रखरखाव पर व्यय | 2.9120 | प्रति है0/माह | 1000.00 | 2912.000 |
| 9 | 8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखीघास फूॅस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है। झाड़ी कटान (लैन्टना, गाजर घास/काला बासा) | 2.9120 | है0 | 1682.00 | 4897.98 |
| | **द्वितीय चरण का योग –** | | | | **90569.02** |
| | **तृतीय चरण** | | | | |
| 1 | वनीकरण चौकीदारी 12 माह | 2.9120 | प्रति है0/माह | 1000.00 | 34944.00 |
| 2 | 2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखीघास फूॅस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है। झाड़ी कटान (लैन्टना, गाजर घास/काला बासा) | 2.9120 | है0 | 1682.00 | 4897.98 |
| 3 | पौधों की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत | 291 | सं0/पौध | 15.00 | 4368.00 |
| | पुनः गढ्ढा खोदना एवं रोपण करना | 291 | सं0/पौध | 6.00 | 1747.20 |
| | पौधों का ढुलान कार्य करना | 291 | सं0/पौध | 13.00 | 3785.60 |
| | गढ्ढों में गोबर खाद डालना मय ढुलान सहित | 291 | सं0 | 2.85 | 829.92 |
| | शीतकाल में मल्चिंग सहित कार्य | 291 | सं0 | 2.38 | 693.06 |
| | **तृतीय चरण का योग –** | | | | **51265.76** |
| | **चतुर्थ चरण** | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के बाद द्वितीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 2.9120 | है0 | 1000.00 | 34944.00 |
| | **चतुर्थ चरण का योग –** | | | | 34944.00 |
| | **पंचम चरण** | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 2.9120 | है0 | 1000.00 | 34944.00 |
| | **पंचम चरण का योग –** | | | | 34944.00 |
| | **छठवां चरण** | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 2.9120 | है0 | 1000.00 | 34944.00 |
| | **छठवें चरण का योग –** | | | | 34944.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| सातवां चरण | | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 2.9120 | है0 | 1000.00 | 34944.00 |
| सातवें चरण का योग – | | | | | 34944.00 |
| आठवां चरण | | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 2.9120 | है0 | 1000.00 | 34944.00 |
| आठवें चरण का योग – | | | | | 34944.00 |
| नवम् चरण | | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 2.9120 | है0 | 1000.00 | 34944.00 |
| नवें चरण का योग – | | | | | 34944.00 |
| दशम चरण | | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 2.9120 | है0 | 1000.00 | 34944.00 |
| दशवें चरण का योग – | | | | | 34944.00 |
| 5– कुल व्यय सारांश प्रति है0 व कुल व्यय | | | | | |
| क्र0 सं0 | वर्ष का नाम | | | | प्रति है0 व्यय |
| 1 | प्रथम वर्ष | | | | 246096.03 |
| 2 | द्वितीय वर्ष | | | | 90569.02 |
| 3 | तृतीय वर्ष | | | | 51265.76 |
| 4 | चतुर्थ वर्ष | | | | 34944.00 |
| 5 | पंचम वर्ष | | | | 34944.00 |
| 6 | छठवें वर्ष | | | | 34944.00 |
| 7 | सातवां वर्ष | | | | 34944.00 |
| 8 | आठवां वर्ष | | | | 34944.00 |
| 9 | नवम वर्ष | | | | 34944.00 |
| 10 | दशम वर्ष | | | | 34944.00 |
| कुल व्यय रुपये | | | | | 632538.82 |
| मृदा एवं जल संरक्षण कार्य | | | | | 349340.99 |
| कुल योग | | | | | 981879.81 |
| प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–972/3–5–2(।।) दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2020–21 हेतु देय दर/337184.00 रु0/है0 | | 2.9120 | है0 | 981879.81 | |
| या | | | | 981880.00 | |

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :– जनपद–रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

## क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है उक्त परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.501 है0 वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 3.002 है0 ग्राम–जयकण्डी सिविल भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी
[illegible]

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सि0 ख0, रुद्रप्रयाग

।। का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, जावरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

## क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि

जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जावरी से ण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग जिसमें 1.501 है0 वन भूमि आ रही है। क्षतिपूरक पण हेतु दुगुनी वन भूमि 3.002 है0 है जो कि वन विभाग के द्वारा ग्राम सारकण्डी सिविल में 3.002 है0 भूमि प्रस्तावित की गयी है।

| | | |
|---|---|---|
| कनिष्ठ अभियन्ता<br>पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग | सहायक अभियन्ता<br>पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग | अधिशासी अभियन्ता<br>पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग |

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सि० ख०, रूद्रप्रयाग

/1/2023

संशोधित

# ::आदेश::

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.501 है0 वन भूमि के एवज में इस कार्यालय के आदेश संख्या–4085/छब्बीस–19/2021–22 दिनांक 05 जून, 2021 के द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक–8बी/यू0सी0पी0/06/10/2020/एफ0सी0/1029 दिनांक 25/08/2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या– 3 (क) के अनुसार ग्राम जयकण्डी के ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या– 60 के खसरा संख्या– 278 रकवा 2.500 है0 एवं खसरा संख्या– 1369 रकवा 0.700 है0 मध्ये 0.412 है0 कुल 2.912 है0 भूमि पूर्व में ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/अमलदरामद किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (सिं0खं0), रूद्रप्रयाग द्वारा पत्र संख्या–147/पी.एम.जी.एस.वाई.(सिं.खं.)रूद्रप्रयाग/वनभूमि दिनांक 02/02/2023, के द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग पर वृक्षारोपण हेतु अवशेष 0.090 है0 भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण में उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा तहसीलदार ऊखीमठ के पत्र संख्या–1196/र0का0–क्ष0वृ0/(2022–23) दिनांक 14 जनवरी, 2023 को अग्रसारित कर अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग निर्माण हेतु, ग्राम जयकण्डी के ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या– 60 के खसरा संख्या– 278 रकवा 2.500 है0 एवं खसरा संख्या– 1369 रकवा 0.700 है0 मध्ये 0.412 है0 कुल 2.912 है0 भूमि पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण होने पर अमलदरामद किया गया है तथा शेष 0.09 है0 भूमि ग्राम जयकण्डी के खसरा संख्या–1369 रकवा 0.700 है0 मध्ये अवशेष 0.288 है0 भूमि में से 0.090 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

प्रस्तावित 0.090 है0 भूमि ग्राम जयकण्डी की ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी 9(3)ड. की भूमि है, जिसके नकल नक्शा, ज0वि0र0 खतौनी तथा खसरा संलग्न कर प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः शासनादेश संख्या– 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये, उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार ऊखीमठ द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गणेशनगर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जयकण्डी की ज0वि0र0 खतौनी के श्रेणी–9–3(ड.) के खाता संख्या– 60 के खसरा संख्या– 278 रकवा 2.500 है0 एवं खसरा संख्या– 1369 रकवा 0.700 है0 मध्ये 0.412 है0 कुल 2.912 है0 भूमि पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण होने पर अमलदरामद किया गया है तथा शेष 0.09 है0 भूमि ग्राम जयकण्डी के खसरा संख्या–1369 रकवा 0.700 है0 मध्ये अवशेष 0.288 है0 भूमि में से 0.090 है0 चयनित/प्रस्तावित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदरामद करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह0/–
(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।
10–02–2023

Scanned with OKEN Scanner

471/2023

# कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या–2575/छब्बीस–19/2020–21/ दिनांकः रूद्रप्रयागः फरवरी 14 2023

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– सचिव, राजस्व विभाग अनुभाग–02 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–04 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

6– उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

7– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार ऊखीमठ को नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र खतौनी की नकल वन विभाग एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

8– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (सिं0खं0), रूद्रप्रयाग।

Signed by Deependra Singh Negi
Date: 14-02-2023 15:19:44

तहसीलदार ऊखीमठ। R/C

कृ0 नकल खतौनी प्रेषित करें।

SDM(U)
20/02/23

रा0उ0नि0
गणेशनगर

कृ0 अमल-दरामद कर
नकल खतौनी उपलब्ध कराना
सुनिश्चित करें।

तहसीलदार
ऊखीमठ
25/02/23

Scanned with OKEN Scanner

2/2023
2/2023

(7)

प्रेषक,

तहसीलदार,
ऊखीमठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
रूद्रप्रयाग।

द्वाराः— उप जिलाधिकारी ऊखीमठ।

संख्याः— 1363/र0का0—भू0अम0/(2022—23) दिनांकः ऊखीमठः अप्रैल 05, 2023

विषयः— **जाबरी—जयकण्ड़ी मोटर मार्ग पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग के नाम ग्राम जयकण्ड़ी में भूमि अमल—दरामद किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय आदेश सं0—2575/छब्बीस—19/2020—2021 दिनांकः 14 फरवरी, 2023 का अवलोकन करने का कष्ट कीजिएगा, जिसके द्वारा ग्राम जयकण्ड़ी की ज़0वि0र0 ख0खा0सं0—60 में दर्ज खसरा सं0—1369 रकवा 0.700है0 भूमि, मध्ये 0.090है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग के नाम अमल—दरामद किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

इस सम्बन्ध में राजस्व उप निरीक्षक गणेशनगर, द्वारा अपनी आख्या के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि; ग्राम जयकण्ड़ी की ज0वि0र0 ख0खा0सं0—60 में दर्ज खसरा सं0—1369 रकवा 0.700 है0 मध्ये, 0.090है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग के नाम अमल—दरामद किया गया है, नकल ज0वि0र0 खतौनी संलग्न है (रा0उ0नि गणेशनगर की आख्या मूल में संलग्न है)।

अतः आख्या उपरोक्तानुसार सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्न—यथोपरि

भवदीय,

Signed by
Diwan Singh
Date: 11-04-2023 18:15:08

तहसीलदार,
ऊखीमठ।



Generated from eOffice by Satish Prasad, RK-SP-UKHI, RAGISTRAR KANOONGO, DEPT-TEHSIL-UKHIMATH on 19/04/2023 12:29 PM

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में

श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील - ऊखीमठ

महोदय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्रांक सं० 25 75 रूद्रप्रयाग फरवरी 14 2023 एक्वीस 19/2022-21। दिनांक रूद्रप्रयाग फरवरी 14 2023 के आदेश अनुपालन एवम तहसीलदार महोदय के पृष्ठांकित आदेशानुपालन ग्राम जयकण्डी की हाल खतौनी खाता सं० 60 के खसरा नं० 1364 रकबा 0.700 हे० मध्ये अवशेष 0.288 हे० भूमि में से 0.090 हे० भूमि चयनित/प्रस्तावित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपवन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग के नाम हस्तान्तरित आलदरामद दर्ज किया गया है रिपोर्ट के आख्या पर ज० वि० र० खतौनी नकल संलग्न है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित

रा० नि० जगतनगर

नकल जमाबन्दी खतौनी

ग्राम जयकण्डी | रा० उ० नि० गणेशनगर | तहसील अरसीमठ

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | कालम 8 से कालम 11 तक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ६० | बंजर | | १० | ३२॥ | | श्रीमान जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के कार्यालय आदेश सं० 1085 / ह०वीस 17 / 2020-21 दिनांक रुद्रप्रयाग जून 05 2021 तथा शासना देश संख्या 2173 / XVIII(II) / 2021-18(2) / 2010 राजस्व अनुभाग 2 दिनांक 17 दिसम्बर 2021 मे प्रदत्त अधिकारो उपयोग करते हुये तहसीलदार उपजिलाधिकारी अरसीमठ द्वारा राजस्व उ० नि० गणेशनगर के अन्तर्गत ग्राम जयकण्डी की जमाबन्दी खतौनी खाता सं० 60 के खसरा नं० 278 रकबा 2.500 हे० तथा खसरा नं० 1369 रकबा 0.700 मध्ये 0.412 हे० कुल 2.912 हे० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन उप संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम अमलदरामद किया गया है |
| | | | २९८ | १२५ | | |
| | | | ६५८ | १६॥। | | |
| | | | १३६८ | ३५ | | ह० असपष्ट |
| | | | १५२७ | २॥= | | श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्रांक सं० 2575 / ह०वीस 17-2020-21 दिनांक रुद्रप्रयाग फरवरी 14, 2023 के आदेश अनुपालन मे ग्राम जयकण्डी की जमाबन्दी खतौनी खाता सं० 60 के खसरा 278 रकबा 2.500 हे० एवम खसरा नं० 1369 रकबा 0.700 हे० मध्ये 0.412 हे० कुल 2.912 हे० भूमि पूर्व मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण होने पर अमलदरामद किया गया है तथा 0.010 हे० भूमि जयकण्डी के खसरा नं० 1369 रकबा 0.700 मध्ये अवशेष 0.288 हे० भूमि मे से 0.010 हे० भूमि चयनित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम हस्तान्तरित अमलदरामद स्वीकृत प्रदान की जाती है। |
| | | | १५८८ | २३ | | |
| | | | १६१२ | ६॥।= | | ह० अपठनीय नायब तहसीलदार गणेशनगर |
| | | | ३१ | ८६॥= | | |

नोट नकल ज० वि० रुण खतौनी असल से तैयार की गयी है।

ह० गणेशनगर अरसीमठ

Scanned with OKEN Scanner

(8)

## Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

| Sno. | Proposal Detail | Application_No | Application No (New) | Date of IN-PRINCIPLE | Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.) | Payment Status | Payment Detail | Demand Letter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP/UK/ROAD/14124/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/14124/2015)<br>Javri To Jaikandi Motor Road | ROAD141242015617 | 6114124617 | 14 Mar 2016 | CA: 0/-, Addl CA : 0/-<br>PCA: 0/-, CAT : 0/-<br>Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/-<br>NPV: 1096862/-, Other Charges : 0/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 1096862/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 14 Sep 2022<br>Bank Name : Union Bank Of India<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On : 19 Sep 2022<br>Transaction Date : 28 Sep 2022 | Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/120920221339334390_FPUKROAD141242015_User_Fund_Demanded_31477.pdf<br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD141242015617) |
| 2 | FP/UK/ROAD/40174/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/40174/2019)<br>Construction of Javri to Jaikandi(extension Ajaipur to Kakola) MR | ROAD401742019923 | 6140174923 | 25 Aug 2020 | CA: 0/-, Addl CA : 0/-<br>PCA: 0/-, CAT : 0/-<br>Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/-<br>NPV: 36719/-, Other Charges : 0/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 36719/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 14 Sep 2022<br>Bank Name : Union Bank Of India<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On : 19 Sep 2022<br>Transaction Date : 28 Sep 2022 | Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/270820221156458253_FPUKROAD401742019_User_Fund_Demanded_40532.pdf<br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD401742019923) |
| 3 | FP/UK/ROAD/119756/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/119756/2021)<br>sanbend san syund to saterakhal Motor road | ROAD1197562021858 | 61119756858 | 06 Dec 2021 | CA: 0/-, Addl CA : 0/-<br>PCA: 0/-, CAT : 0/-<br>Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/-<br>NPV: 809510/-, tree plantation for 10 year : 710648/-<br>Penal NPV : 906651/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 2426809/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 21 Mar 2022<br>Bank Name : Union Bank Of India<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On : 22 Mar 2022<br>Transaction Date : 21 Jun 2022 | Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/050320221106142586_FPUKROAD1197562021_User_Fund_Demanded_2116Y.pd<br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD1197562021858) |

संलग्नक -(9)

# प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जावरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु **ग्राम–जयकण्डी श्रेणी 9(3)ङ) की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–60 के खसरा संख्या–278, रकवा–2.50 है0 तथा खसरा संख्या–1369, रकवा–0.700 है0 मध्ये–0.502 है कुल 3.002 है0 सिविल वन भूमि** क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के पत्रांक–2575 / छब्बीस–19 / 2020–21 दिनांक 14 फरवरी 2023 के द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। अधिसूचना संख्या–869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या–1506/14-2-97-800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष मे कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
रुद्रप्रयाग

## कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक– / दिनांकित पौड़ी 2024

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक / क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव / सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. संबंधित जिलाधिकारी।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

## क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का कब्जा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग पर निर्माण हेतु 1.501 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुनी भूमि ग्राम जयकण्डी सिविल है0 3.002 हे0 क्षेत्रफल जिसमें कि जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के द्वारा म्यूटेशन आदेश निर्गत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है। म्यूटेशन आदेश तथा अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण निम्न प्रकार है–

| म्यूटेशन ओदश का पत्रांक व दिनांक | श्रेणी | खाता संख्या | खसरा संख्या | कुल रकवा | अर्जित रकवा |
|---|---|---|---|---|---|
| **2575** / छब्बीस–19 /2020–21 / दिनांक 14–02–2023 | 9–3(ड) बंजर | 60 | 278 | 2.500 हे0 | 2.500 हे0 |
| | 9–3(ड) बंजर | 60 | 1369 | 0.700 हे0 | 0.502 हे0 |
| योग | | | | | 3.002 हे0 |

उपरोक्त भूमि का प्रयोक्ता अभिकरण पी0एम0जी0एस0वाई रूद्रप्रयाग द्वारा मौके पर मानकानुसार आर0सी0सी0 पिल्लरों से सीमाकंन किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

| क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम | कुल क्षेत्र. (है0) | पिल्लर संख्या | पिल्लर का साईज (L.W.H) | अक्षांश | देशान्तर |
|---|---|---|---|---|---|
| जयकण्डी | 3.002 | 01 | 60x60x75 | 30°25'30.39"N | 79°06'09.69"E |
| | | 02 | 60x60x75 | 30°25'35.35"N | 79°06'14.17"E |
| | | 03 | 60x60x75 | 30°25'36.35"N | 79°06'11.09"E |
| | | 04 | 60x60x75 | 30°25'36.82"N | 79°06'09.28"E |
| | | 05 | 60x60x75 | 30°25'35.97"N | 79°06'05.03"E |
| | | 06 | 60x60x75 | 30°25'31.80"N | 79°06'04.36"E |
| | | 07 | 60x60x75 | 30°25'32.16"N | 79°06'05.93"E |
| | | 08 | 60x60x75 | 30°25'32.28"N | 79°06'08.37"E |

हस्ताक्षर
प्रस्तावक विभाग
मुहर सहित
अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 सिं0 ख0
रुद्रप्रयाग

उपरोक्तानुसार म्यूटेशन आदेश व अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित/सीमांकन की गई भूमि को मौके के अनुसार राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण व कब्जा दिया जाता है।

हस्ताक्षर
राजस्व विभाग
मुहर सहित

उपरोक्तानुसार म्यूटेशन आदेश व अमल दरामद अभिलेखों में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित/सीमांकन की गई भूमि को मौके के अनुसार राजस्व विभाग से वन विभाग के कब्जे में लिया जाता है।

हस्ताक्षर
वन विभाग
मुहर सहित

उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

JE

AE
सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सि० ख०, उत्तरप्रयाग

JE

सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सि० ख०, रूद्रप्रयाग

संलग्नक – (10)

# प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद–रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जावरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
**PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/40174/2019**

"प्रमाणित किया जाता है उक्त परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.501 है0 वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम–जयकण्डी की ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी–9(3)(ङ) के खाता संख्या–60 में अंकित खसरा संख्या–278 रकवा–2.50 है0 तथा खसरा संख्या–1369 रकवा–0.700 है0 मध्ये–0.502 है0 कुल रकवा 3.002 है0 सिविल भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

(जयवीर लाल)
ग्रा॰ वि॰
खण्ड॰ अगस्त्यमुनि

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

संलग्नक -(10)

# प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद–रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
**PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/40174/2019**

"प्रमाणित किया जाता है उक्त परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाली 1.501 है0 वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित **ग्राम–जयकण्डी की ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी–9(3)(ङ) के खाता संख्या–60 में अंकित खसरा संख्या–278 रकवा–2.50 है0 तथा खसरा संख्या–1369 रकवा–0.700 है0 मध्ये–0.502 है0 कुल रकवा 3.002 है0** सिविल भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

(जगवीर लाल)
व.द.
अनु० बड़ा

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

लौ०सं०– 26, 27, 28

(11)

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail. Com
फोन/ फैक्स नं0 :– 01364 – 233505::
पता –: जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

# कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 1412 / 12-1 दिनांक 06/01/2021::

सेवा में,

प्रभागीय लौगिक प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड़ वन विकास निगम,
कर्णप्रयाग।

विषय – **जनपद रूद्रप्रयाग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 है0 चयनित संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों के छपान के सम्बन्ध में।**

महोदय,

वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि राजि की पत्र संख्या– 1076 / 12–1 दिनांक 28.12.2020 द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग (जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 है0 के निर्माण हेतु चयनित संरेखण) पर प्रभावित होने वाले विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का छपान कर लौट संख्या– 29 / 2020–21 आंवटित किया जाता हैं। आप नियमानुसार बिक्री की शर्तों के अनुसार बाउण्ड्री रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के उपरान्त लौट में कार्य प्रारम्भ करवाने तथा लौट में वृक्षों के पातन प्रगति की पाक्षिक सूचना नियमित रूप से इस कार्यालय को भेजें व लौट की रायल्टी की धनराशि निम्नानुसार जमा करें।

**संलग्नक – उपरोक्तानुसार छपान सूची।**

भवदीय,
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या 1412 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग/जखोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या 1412 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि – वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि राजि की पत्र संख्या– 1076 / 12–1 दिनांक 28.12.2020 के अनुसार इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार बिक्री की शर्तों के अनुसार बाउण्ड्री रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के उपरान्त लौट में कार्य प्रारम्भ करवाने तथा लौट में वृक्षों के पातन प्रगति की पाक्षिक सूचना नियमित रूप से इस कार्यालय को भेजें।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या 1412 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 रूद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित की सैद्धान्तिक स्वीकृति अध्यारोपित शर्तो के अनुपालन पश्चात आप कार्य प्रारभ्भ कर सकते है।

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

o/c

जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 है0 चयनित संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों के संबंध में।

| क्र0 सं0 | रेंज/यूनिट का नाम | स्थान का नाम | प्रजाति | पातित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या | अनुमानित आयतन (घन मी0) | लौट संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | अगस्त्यमुनि रेंज | वन पंचायत कण्डारा | उत्तीस | 1 | 1.560 | 29/2020-21 |
| 2 | | | सिरस | 1 | 2.587 | |
| 3 | | | सेमल | 1 | 1.445 | |
| 4 | | | तुन | 6 | 3.178 | |
| 5 | | | तेजपात | 1 | 0.113 | |
| 6 | | | खड़ीक | 1 | 0.000 | |
| 7 | | | योग :– | **11** | **8.883** | |
| 8 | | वन पंचायत ककोला | महुवा | 10 | 1.386 | |
| 9 | | | मेहल | 3 | 0.454 | |
| 10 | | | सेमल | 1 | 0.113 | |
| 11 | | | चीड़ | 3 | 0.552 | |
| 12 | | | बांज | 1 | 0.000 | |
| 13 | | | योग :– | **18** | **2.505** | |
| 14 | | नापखेत कण्डारा | पदम | 1 | 0.000 | |
| 15 | | | खड़ीक | 2 | 0.310 | |
| 16 | | | योग :– | 3 | **0.310** | |
| | **कुल योग :–** | | | **32** | **11.698** | |

उक्त लौट में आंगणित उत्पादित प्रकाष्ठ वास्तविक प्रकाष्ठ के आंगणनों का मिलान करने के पश्चात ही उत्पादित प्रकाष्ठ की निकासी प्रदान की जायेगी।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

88

61258

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/10/2020/एफ0 सी0/1749 दिनांकः 17/03/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित, जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु 1.501 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/40174/2019)**

**सन्दर्भः–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2031/FP/UK/ ROAD/40174/2019 दिनांक 21/02/2022**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25.08.2020 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालना राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है प्रस्तुत अनुपालन आख्या के अवलोकन उपरान्त निम्न त्रुटियाँ पाई गयी है जिसकी पूर्ति राज्य सरकार से अपेक्षित हैः–

1. प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा आनलाईन भाग– II के पैरा –13 में 1.501 हे0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के सापेक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगने क्षेत्र 3.002 हे0 के स्थान पर 2.912 हे0 क्षेत्र का उल्लेख कर जानकारी अपलोड कर दी गई थी परन्तु क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना 3.002 हे0 क्षेत्र के लिये ही अपलोड पाई गई थी। इस कार्यालय द्वारा टंकण त्रुटिवश सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 (क) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के क्षेत्र का उल्लेख 2.912 हे0 कर दिया गया। इसके उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 3.002 हे0 के स्थान पर मात्र 2.912 हे0 हेतु ही धनराशि जमा की गई है। यह प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर प्रस्ताव के प्रति लिये गये आकस्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि 3.002 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ownership proof, KML file, डिजिटल मैप, SoI toposheet मैप, क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र, mutation के दस्तावेज़, खसरा तथा खतौनी के दस्तावेज़, इत्यादि इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. इसके अतिरिक्त 3.002 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु बकाया धनराशि भी जमा कराई जायें।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने के संबंध मे आपको अवगत कराना है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4 (i) के अनुसार, विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक

वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयाम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें।

4. सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या 3 (ग) के सापेक्ष में कोई undertaking प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः राज्य सरकार सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या 3 (ग) की अनुपालाना में वन मंडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. शर्त संख्या 5 का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के पत्र में उल्लेखित शर्त संख्या 5 का अवलोकन कर पूर्ण अनुपालना इस कार्यालय में प्रेषित करें।
6. शर्त संख्या 7 का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति के पत्र में उल्लेखित शर्त संख्या 7 का अवलोकन कर पूर्ण अनुपालना इस कार्यालय में प्रेषित करें।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०(सिं०खं०) रूद्रप्रयाग के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु गैर वानिकी कार्यो हेतु 1.501 हे० भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.912 हे० भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण पर उप जिलाधिकारी ऊखीमठ द्वारा तहसीलदार ऊखीमठ के पत्र संख्या-08/र०का०-क्षति०वृ०/(2020-21) दिनांक 18 अप्रैल, 2021 को अग्रसारित करते हुये अवगत कराया है कि जाबरी-जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 है० वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गणेशनगर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जयकण्डी की ज०वि०र० खतौनी खाता संख्या- 60 के खसरा सं0 278 रकवा 2.500 है0 तथा खसरा संख्या- 1369 रकवा 0.700 हे0 मध्ये 0.412 है0 अर्थात कुल रकवा 2.912 है0 भूमि श्रेणी-9(3)(ड़) बंजर श्रेणी की भूमि चयनित कर चयनित भूमि का नक्शा, खसरा वं खतौनी की नकल प्रस्तुत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः शासनादेश संख्या- 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये, तहसीलदार/ उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गणेशनगर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जयकण्डी की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या- 60 के खसरा सं0 278 रकवा 2.500 है0 तथा खसरा संख्या- 1369 रकवा 0.700 हे0 मध्ये 0.412 है0 अर्थात कुल रकवा 2.912 है0 भूमि श्रेणी-9(3)(ड़) बंजर श्रेणी की चयनित भूमि उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/ नामान्तरित एवं अमलदरामद करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिनांक-04-06-2021

ह0/-
(मनुज गोयल)
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या- 4085 /छब्बीस-19/2020-21/ दिनांकः रूद्रप्रयागः जून, 05 2021

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- सचिव राजस्व विभाग अनुभाग-02 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3- अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-04 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
5- आयुक्त, गढवाल मण्डल पौडी।
6- उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
7- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार ऊखीमठ को नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र खतौनी की नकल वन विभाग एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
8- अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई.(सिं0खं0), रूद्रप्रयाग।

अपर, जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।